उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक B/2110 / तीन–8–6 / 23 भाग–13

जबलपुर, दिनांक 11-4-19 ~~जनवरी,2019~~

(प्रतिलिपि –म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन कमांक 1771 / 21–ब(एक) दिनांक 4.4.2019 की छायाप्रति)

प्रतिलिपि :–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राज्य के समस्त
2. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर
3. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर
4. रजिस्ट्रार, समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर
5. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राज्य के समस्त
6. विशेष न्यायाधीश, राज्य के समस्त
7. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर / ग्वालियर
8. संचालक / अतिरिक्त संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उत्सादित म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी, उत्सादित म.प्र.राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर
10. बजट अधिकारी / लेखा अधिकारी / अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर
11. सहायक(यात्रा भत्ता) / यात्रा भत्ता लिपिक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
12. रजिस्ट्रार (आई.टी) की ओर उच्च न्यायालय म.प्र. की बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

10.4.19
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

347

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 1771/21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 04.04.2019

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय
जबलपुर (म0प्र0)

विषय :– न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत अंतरिम राहत का लाभ ट्रांसफर ग्रॉट में मूल वेतन के साथ दिये जाने के संबंध में।

संदर्भः– रजिस्ट्री का ज्ञापन क्रमांक बी/1700 दिनांक 13.03.2019

000

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरण की दशा में ट्रांसफर ग्राण्ट के रूप में एकमाह के मासिक वेतन अर्थात् मूल वेतन एवं उसमें 30 प्रतिशत अंतरिम राहत जोड़कर राशि ट्रांसफर ग्राण्ट के रूप में दी जाएगी परंतु भविष्य में वेतन पुनरीक्षण होने पर अंतर की राशि का दावा न्यायिक अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

तद्नुसार उपरोक्त जानकारी समुचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

04.04.2019

(रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

Letter Latest 2019

Scanned by CamScanner